भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3504

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

राष्ट्रीय पेंशन योजना

3504. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:
श्री रेबती त्रिपुरा:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस योजना के शुरू होने से लेकर इसके अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने एनपीएस शुरू करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में अब तक प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सेवानिवृत्ति आय योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एनपीएस के अंतर्गत अंशदान को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): भारत सरकार ने निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत की थी ताकि वृद्धावस्था आय सुरक्षा को वित्तीय रूप से स्थायी तरीके से प्रदान किया जा सके और लघु बचतों को विवेकपूर्ण निवेशों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनलाइज किया जा सके। 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य कर दिया गया था (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) और 1 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है।

भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और एनपीएस ग्राहकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें सरकार के योगदान को पहले के 10% से बढ़ाकर 14% करना, पेंशन निधि के चयन की स्वतंत्रता और अभिदाताओं के लिए निवेश का पैटर्न, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस योगदान की गैर-जमा या विलम्ब से जमा के लिए मुआवजे का भुगतान

तथा धारा 80सी के तहत कर छूट और पूरी आहरण राशि को आय-कर से मुक्त करने हेतु योजना से बाहर निकलने पर एकमुश्त आहरण के संबंध में 40% देय राशि पर दी जा रही छूट की सीमा को अब बढ़ाकर 60% कर दिया जाना शामिल है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एनपीएस के आरम्भ से दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-क** में दी गई है।

(ग): सभी राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है। तथापि, जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, एनपीएस को 1 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा सूचित किया गया है, 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के कुल 6,61,387 अभिदाताओं और महाराष्ट्र राज्य के 15,12,223 अभिदाता एनपीएस में शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु राज्य और महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रबंधनाधीन कुल आस्ति (एयूएम) क्रमशः 3964.35 करोड़ रुपये और 89534.39 करोड़ रूपए है।

(घ): जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार के मासिक योगदान को वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर वेतन + डीए का 14% कर दिया है।

*****

अनुबंध-क

आरंभ से लेकर दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीय (एनपीएस) के अंतर्गत नामांकित किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	नामांकनों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,416
2	आंध्र प्रदेश	9,05,228
3	अरुणाचल प्रदेश	35,857
4	असम	4,82,569
5	बिहार	6,69,988
6	चंडीगढ़	37,401
7	छत्तीसगढ़	5,99,943
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4,819
9	दिल्ली	4,46,697
10	गोवा	56,883
11	गुजरात	7,26,934
12	हरियाणा	4,68,979
13	हिमाचल प्रदेश	1,71,954
14	जम्मू और कश्मीर	2,32,033
15	झारखंड	3,60,299
16	कर्नाटक	13,69,961
17	केरल	6,55,243
18	लद्दाख	264
19	लक्षद्वीप	2,189
20	मध्य प्रदेश	8,96,692
21	महाराष्ट्र	15,12,223
22	मणिपुर	68,089
23	मेघालय	31,842
24	मिजोरम	13,723
25	नागालैंड	49,393
26	उड़ीसा	4,89,128
27	पांडिचेरी	23,959
28	पंजाब	3,43,413
29	राजस्थान	9,53,230
30	सिक्किम	28,378
31	तमिलनाडु	6,61,387
32	तेलंगाना	1,87,679
33	त्रिपुरा	54,156
34	उतार प्रदेश	16,73,404
35	उत्तराखंड	1,79,131
36	पश्चिम बंगाल	6,18,200
37	अन्य*	41,198
	कुल	**1,50,66,882**

स्रोत: पीएफआरडीए

*अन्य में रक्षा, गैर-निवासी भारतीय अभिदाता और गैर-व्यक्तिगत सेवानिवृत्त खाताधारक अभिदाता शामिल हैं।